न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 32/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— इन्द्रसिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी लाहोरा तहसील रायसिंहनगर पीएस. गजसिंहपुरा जिला श्रीगंगानगर।

————अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

————रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री अनिलसिंह खीचड़ अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14.05.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.07.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने पिता स्व.बख्तावर सिंह पुत्र बहाल सिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 484/89 डीएम श्रीगंगानगर, पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 86151 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत दिनांक 10.3.14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (एटीसी) राज. जयपुर, अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर व तहसीलदार, रायसिंहनगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 962 दिनांक 8.5.14 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" है, की टिप्पणी की गई, तथा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं होने करने के आधार पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.15 से अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया, परन्तु अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अपील मीमो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री अनिलसिंह खीचड़ द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री बख्तावर सिंह के नाम के जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधिवत् आवेदन पत्र दिनांक 10.3.14 को पेश किया था जो कार्यालय में दिनांक 28.3.14 को पंजीबद्ध किया गया है। श्री बख्तावर सिंह का देहावसान दिनांक 9.10.2010 को हो गया। पिता के लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र को अपीलांट के पक्ष में दर्ज करने की सहमति स्वरूप स्व. बख्तावर सिंह के शेष वारिसान द्वारा शपथ पत्र दिये गये हैं। अपीलांट समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो अपने परिवार सहित गांव में निवास करता है, जिसमें उनकी सुरक्षा व अपने खेत की देखभाल करने के लिये व परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होने व परिवार की सुरक्षा का दायित्व होने के कारण लाईसेंस शुदा शस्त्र का होना अति आवश्यक है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र उसे बिना सुने ही इकतरफा खारिज किया गया है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के बाद भी उसे कोई सूचना नहीं दी गई है। अपीलांट को स्वंय की सुरक्षा के लिये एवं कृषि उपज की सुरक्षा के लिये जिसमें खेती बाड़ी गांव से दूर होने के कारण ऐसी कृषि पर तुरन्त सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती एवं स्वंय की सुरक्षा उपज व फसल की सुरक्षा के लिये बन्दूक के लाईसेंस के लिये आवेदन किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण या जांच विचाराधीन नहीं है, ना ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध हुआ है, ना ही अपीलांट हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। अपीलांट की आवश्यकताओं एवं उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने संबंधी आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिता जी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जाता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर

की रिपोर्ट में अपीलार्थी को लाईसेंस दिया जाना ''अनुचित'' होना अंकित किया है तथा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि या आचरण के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अपीलांट अपने मृतक पिता के शस्त्र लाईसेंस पर दर्ज शस्त्र प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जाता है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है, जबकि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पिताजी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्रों को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.05.14 में स्पष्ट रूप से अपीलांट को लाईसेंस दिये जाने को अनुचित बताया है तथा पुलिस द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को जान–माल का खतरा होने संबंधी रिपोर्ट नहीं की गई है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गृह विभाग, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने के आधार पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नये साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।
7. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार हम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।
8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर